कार्यालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा RAS

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः– 152/2024 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के–1947)

राजस्थान सरकार जरिये हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
–प्रार्थी

बनाम

1. चिमनलाल पुत्र श्री आतुराम(विक्रेता व मालिक) मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, मेन मार्किट, पुराना बस स्टैण्ड अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।), 51 **FSSA Act 2006**

निर्णय दिनांकः– 28.10.2024

यह इस्तगासा **श्री हंसराज गोदारा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(।।) व धारा 51, के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा मे वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः– यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **हंसराज गोदारा** दिनांक 25.08.2023 को समय **05:20 पीएम बजे** पर निरीक्षणार्थ मैसर्स–**लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, मेन मार्किट, पुराना बस स्टैण्ड अनूपगढ़, जिला अनूपगढ** पर निरीक्षण हेतु पहुंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **चिमनलाल पुत्र श्री आतुराम (विक्रेता व मालिक)** को अपना परिचय देकर संस्थान में एक स्टील ट्रे में रखे **गुलाब जामुन (वनस्पति से निर्मित)** के बारे में जानकारी चाही। अप्रार्थी **चिमनलाल पुत्र श्री आतुराम** ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा संस्थान मे एक स्टील ट्रे में रखे लगभग 04 **किलो गुलाम जामुन (वनस्पति से निर्मित)** को आमजन मे बेचान वास्ते बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन(वनस्पति से निर्मित) में से 02 किलोग्राम** विक्रेता से तय कीमत पर खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **गुलाब जामुन(वनस्पति से निर्मित)** का नगद भुगतान 280/– रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता चिमनलाल, गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक व विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ती रसीद ली, जो संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **श्री चिमनलाल पुत्र श्री आतुराम(विक्रेता एवं मालिक)** एव गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री चिमनलाल पुत्र श्री आतुराम(विक्रेता एवं मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णय आदवेन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गुलाब जामुन(वनस्पति से निर्मित) 02 किलोग्राम** को बराबर भागों मे बांटकर चार बोतलों में भरकर प्रत्येक बोतल में परिरक्षक फॉर्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये व चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1947** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–1947** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमुना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सील लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमुना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर मे सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक FSSA/2023/1350-51 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्यकारोबारककर्ता एवं विक्रेता के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन(वनस्पति से निर्मित)** का नमुना **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। खाद्य विश्लेषक बीकानेर की जॉच रिपोर्ट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य विश्लेषक वीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक **FSSA/2023/1350-51** दिनांक 20.09..2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया परंतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने का कोई आवेदन नहीं किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र दिनांक 01.02.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) **एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी** श्रीगंगानगर ने **उक्त प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक FSSA/2023/97-98 दिनांक** 08.02.2024 के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **चिमनलाल पुत्र श्री आतुराम(विक्रेता व मालिक) मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, मेन मार्किट, पुराना बस स्टैण्ड अनूपगढ** ने खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन(वनस्पति से निर्मित) Sub-standard Food** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धारा **51 में निर्धारित है।**

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करे।

अप्रार्थी मय अधिवक्ता श्री सोमदत्त कचोरिया उपस्थित हुए व अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मे कथन किया गया है कि बिन्दु संख्या 01 रिकॉर्ड का तथ्य है, जवाब की आवश्यकता नही है। बिन्दु सख्या 02 रिकॉर्ड का तथ्य है, जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 3 मे दर्ज तथ्य मनमाने व निराधार है केवल मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार का मालिक अप्रार्थी होना स्वीकार है शेष तथ्य बयानी होने के कारण अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 04 में गुलाब जामुन खरीद करना व केशमीमों जारी करना स्वीकार है, शेष तथ्य अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 05 झुठी, मनगढंत व मनमानी होने के अस्वीकार है। फार्म सं. 05 ए की कोई कार्यवाही अप्रार्थी के समक्ष नहीं की गई है व खाली प्रारूपों पर हस्ताक्षर करवाये गये थे। बिन्दु सं. 06 अज्ञानता के कारण अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 07 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 8 से बिन्दु सं. 13 तक अस्वीकार है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त कथन में कहा है कि अप्रार्थी द्वारा केवल मात्र गुलाब जामुन बनाये जाते है जिसके लिए वनस्पति अप्रार्थी द्वारा अग्रवाल ट्रेडर्स अनूपगढ़ से ध्रुव वनस्पति ब्राण्ड नाम का खरीद किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को विनिर्माता कम्पनी/फर्म के कार्यालय तथा कारखाने मे सैम्पलिंग करनी चाहिए थी। अप्रार्थी द्वारा विनिर्मित व विक्रित खाद्य सामग्री की गुणवता पर कभी कोई प्रशन चिन्ह नहीं है। अप्रार्थी उच्च गुणवता वाली सामग्री ही तैयार करता है तथा कभी भी अप्रार्थी की दुकान से विधिक प्रक्रिया द्वारा पारदर्शी रूप से जांच की जा सकती है। परिवादी द्वारा अवैध कार्यवाही की है जिसके लिए अप्रार्थी किसी प्रकार से उत्तरदायी नही है। अतः जवाब परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारार प्रस्तुत परिवाद पत्र की कार्यवाही निरस्त फरमावी जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन(वनस्पति से निर्मित)** के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला वीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक **L.S.1337/Act/2023/1337** दिनांक 11.09.2023 में खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन(वनस्पति से निर्मित)** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51 का उल्लंघन करते हुए नमुना के–**1947 Sub-Standard Food** पाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, विक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उक्त खाद्य पदार्थ नमूना **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोडता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(।।), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 26(2)(।।), 51 के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन(वनस्पति से निर्मित) हेतु गैरसायलफर्म चिमनलाल पुत्र श्री आतुराम(विक्रेता व मालिक) मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, मेन मार्किट, पुराना बस स्टैण्ड अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़ को** रू 2,00,000 /– रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.24 को सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अनूपगढ